

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालडाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत शिबिर प्रभारी

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम सांगरी जमाबंदी सं 2013-76 के खाता सं 345 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		345	बने सिंह पुत्र नगजी हि. 7/240 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	वजे सिंह पुत्र नगजी हि. 7/240 जाति राजपूत सा. देह खातेदार.

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

हस्ताक्षर

1. बाबुलाल पि. बल्लु जाति मेहर सा. देह खातेदार
2. गोरधन सिंह पि. बल्लु सिंह जाति राजपूत
3.
4.

बाबुलाल
गोरधन सिंह

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम सांगरी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

विजय
रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी
हस्ताक्षर पटवारी
प०म०.६।७।२०२५

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

विजय
भूअभिलेख निरीक्षक
भू०अ०नि०वृ०.....



डिप्टी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंट सरकार

क्रमांक राजस्व/राज/

दिनांक :

महोदय, नाम डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं म्युनिसिपल मिनिस्टर अनुसार क्रमांक 11/17/19 के वसी/प्राणी के राजस्व रिकार्ड में वसी बुटीपूरी इन्फार्म को वृद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट साबर प्रस्तुत है।

डिप्टी मजिस्ट्रेट/म्युनिसिपल मिनिस्टर
राजस्थान वि. आंध्रप्रदेश

आदेश

प्राथमिक डायवर्स अधिकारी, डिप्टी जिला आंध्रप्रदेश राज

क्रमांक: राजस्व राजसाजम/राज/ 11/17

दिनांक : 26/9/15

वसी/प्राणी के नाम 11/17/19 के राजस्व रिकार्ड में वसी बुटीपूरी इन्फार्म को मजिस्ट्रेट 11/17/19 की वसी नाम डिप्टी/प्रमाण अनुसार प्रस्तावित साधनी के वसी 4 में प्रकृत बुटीपूरी इन्फार्म को वसी सं. 5 अनुसार वृद्ध किया जाना स्वीकार किया जाता है। मजिस्ट्रेट 11/17/19 को आदेशित किया जाता है कि वसी/प्राणी के राजस्व रिकार्ड में साधनी के वसी सं. 5 अनुसार इन्फार्म वृद्धित कर राजस्व रिकार्ड में अपडेट करवाये।

उपरोक्त अधिकारी
डिप्टी मजिस्ट्रेट/म्युनिसिपल मिनिस्टर
राजस्थान वि. आंध्रप्रदेश

